

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दाण्डिक प्रकरण क0-429 / 14
संस्थित दिनांक 16 / 07 / 14
फाईलिंग नं0 233504000722014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

भोजराज पिता हरिराम मोडक, उम्र 32 वर्ष,
 जाति कुन्बी, पेशा ड्रायवर, नि0 ग्राम लालावाड़ी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0),

-----अभियुक्त.

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-23 / 02 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त भोजराज के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 279, 337, 338 के तहत अभियोग है कि आपने घटना दिनांक 17 / 05 / 14 समय 18:30 बजे लालावाड़ी जोड मेन रोड पर थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 में लोकमार्ग पर टैक्टर कं0 एम0पी0-48 ए 5724 को उपेक्षा पूर्ण व व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चलाकर आहत दुलारीबाई को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित की। उक्त वाहन को उपेक्षा पूर्ण उपेक्षा पूर्ण से चलाकर आहत घनश्याम को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित किया।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17 / 05 / 14 को उसकी मो0सा0टी0बी0एस से मय तथा उसकी पत्नी दुलारीबाई यदुवंशी आमला बाजार आये थे बाजार करके मो0सा0 पर पीछे उसकी पत्नी दुलारीबाई को बैठा कर उसके गांव जा रहा था करीबन शाम के 6:30 बजे लालावाड़ी जोड पर पहुँचे ही थे इतने में खापा तरफ से एक स्वराज कम्पनी का टैक्टर कं. एम.पी. 48 ए 5274 का चालक बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाता आया और उसकी मोटर साईकिल को टैक्टर मार दिया जिससे वह गिर गया उसे माथे पर, दाँहिने गाल पर, दाँहिने हाथ पर सीना पर चोट लगी उसकी पत्नी दुलारीबाई को सिर पर दाँहिने गाल पर, दाँहिने हाथ पर चोट लगी है स्वराज कंपनी का टैक्टर कं. एम0पी0 48 ए 5274 के चालक केद्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेंट करने से चोट आई है।

3— देहाती नालसी प्र0पी0 2 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया गया। उसके आधार पर अपराध क्रं0-338/14 धारा-279,337,338 भा0द0वि की अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 18/05/14 को नक्शा मौका प्र0पी0 3 तैयार किया गया। दिनांक 23/05/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया गया। फरियादी व आहत का मेडिकल मुलाहिजा किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। दिनांक 23/05/14 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

1— “आपने घटना दिनांक 17/05/14 समय 18:30 बजे लालावाड़ी जोड़ मेन रोड पर थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 में लोकमार्ग पर टैक्टर क्रं0 एम0पी0-48 ए 5724 को उपेक्षा पूर्ण व व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?”

2— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चलाकर आहत दुलारीबाई को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित की?”

3— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को उपेक्षा पूर्ण उपेक्षा पूर्ण से चलाकर आहत घनश्याम को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क0 1,2 व 3 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी एन0के0रोहित (अ0सा0-7) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 17.05.14 को आहत घनश्याम पिता सीताराम, उम्र-37 वर्ष, नि0 चौपना, जाति यादव का परीक्षण किया था चोट नं0-1 दो फटे हुये घाव सिर में माथे पर दाहिने तरफ जिसका आकार 3 गुणित 2 गुणित 2 से0मी0, फिर 3 गुणित 1 से0मी0 थी इसके साथ-साथ उसे दाहिने आंख के उपर सूजन थी, उस चोट के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी। चोट नं0-2 छाती में 3 गुणित 2 से0मी0 आकार की सूजन थी जिसमें अत्यधिक दर्द पाया गया, उस चोट चोट के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी। उक्त चोटे कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचाई गई थी जो कि फ्रेश थी चोटों की प्रकृति एक्सरे के परिणाम पर निर्भर थी आहत को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय बैतूल भिजवाया गया था उसकी रिपोर्ट प्र0पी0-7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7— आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसी दिनांक को उसने श्रीमति दुलारी पति घनश्याम उम्र-32 साल, जाति यादव, नि0 चौपना का परीक्षण किया था, चोट नं0-1 दाहिने गाल पर एवं सिर के बीच में फटा हुआ घाव पाया गया, उसने सिर के एक्सरे की सलाह दी गई थी चोट नं0-2 छाती में 3 गुणित 2 से0मी0 आकार की सूजन एवं दर्द पाया गया था उस चोट के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी। उक्त चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुँचाई गई थी जो कि फ्रेश थी एवं चोटों की प्रकृति एक्सरे के परिणाम पर निर्भर थी। आहत को प्राथमिक उचार के बाद जिला चिकित्सालय बैतूल भिजवाया गया था उसकी रिपोर्ट प्र0पी0-8 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि आहतगण के शरीर में कहां-कहां चोटें थी। इस गवाह ने मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 7 एवं प्र0पी0 8 को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। उक्त रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि किस आहत को कहां चोटे पाई गई थी। इस प्रकार गवाह की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आहत दुलारी बाई को टक्कर मारकर साधारण उपहति एवं आहत घनश्याम को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित हुई।

8— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय है कि क्या अभियुक्त ने आहत दुलारीबाई को साधारण उपहति आहत घनश्याम को घोर उपहति कारित किया। अर्थात् यहां मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि क्या अभियुक्त एक्सीडेंट के समय वाहन ट्रैक्टर को चला रहा था उसी की उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना हुई।

9— अभियोजन साक्षी लेखराम (अ0सा01) ने बताया है कि उसे दिनेश यादव ने लालावाड़ी से फोन कर बताया कि उसने बलराम को फोन किया वह तुरंत उसके घर आया वे लोग उसके चाचा हैं तो उन लोगों ने बोला कि घनश्याम और रेखाबाई का एक्सीडेंट हो गया है उन्हें आमला चलना है तो वह और बलराम सीधे हास्पिटल आए तो सेकाबाई और घनश्याम का इलाज चालु था। इस गवाह ने सूचक प्रश्न में अस्वीकार किया है कि प्र0पी0 1 के अ से अ भाग पुलिस को नहीं दिया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था, उसने घटना होते हुये नहीं देखा। आगे यह भी स्वीकार किया है कि घटना कहां पर हुई उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं तथा प्रतिपरीक्षा की तथ्यों ने घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गई, के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— अभियोजन साक्षी घनश्याम (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह आमला से उसकी पत्नी सेकाबाई के साथ मोटर साईकिल से बैठकर घर जा रहा था लालावाड़ी तरफ से एक टेक्टर रोड में लापरवाही पूर्वक खड़ा था वह इधर से मोटर साईकिल चलाकर लाया और वह उससे टकरा गया। टेक्टर से टक्कर लगने से उसे सिर में हाथ में चोट आई थी। सेका उर्फ दुलारीबाई को भी सिर में दाहिने गाल पर चोट आई थी। इस गवाह ने सूचक प्रश्न की कंडिका 2 में अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि स्वराज कंपनी का टेक्टर क्रं. एम0पी0 48 ए 5274 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाने चोट आई उन्हें इलाज हेतु आमला अस्पताल लेकर आए हैं। फिर उसने मोबाईल पर फोन किया था। आगे इस गवाह ने

प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि उसने प्र0पी0 2 के देहाती नालसी में वाहन चालक का नाम नहीं बताया था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने घटना स्थल का मौका नक्शा नहीं बनाया था, यदि उस पर उसके हस्ताक्षर हो तो उसका कारण नहीं बता सकता है। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ कर आवेदन नहीं लिया था। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त वाहन टेक्टर एम0पी0 48 ए 5724 को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित किया।

11— अभियोजन साक्षी खेमराज (अ0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि टेक्टर से घनश्याम और दुलारीबाई का एक्सीडेंट हुआ है। इस गवाह ने सूचक प्रश्न की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि फिर जिजा घनश्याम ने बताया कि वह तथा दुलारीबाई के साथ मोटर साईकिल से आमला से चोपना जा रहे थे लालावाडी जोड के पास पहुँचे ही थे कि खापा तरफ से स्वराज कंपनी का टैक्टर कं. एम0पी0 48 ए 5274 का चालक बडी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते आया और मोटर साईकिल को टक्कर मार देने से चोट लगी है। किन्तु स्वयं आहत ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि लालावाडी तरफ से एक टेक्टर रोड में लापरवाही खड़ा हुआ था वह इधर से मोटर साईकिल चलाकर लाया और वह उससे टक्करा गया। स्वयं आहत घनश्याम के मुख्य परीक्षा के तथ्य से ही यह स्पष्ट है कि घटना के समय अभियुक्त वाहन नहीं चला रहा था। टेक्टर खड़ा हुआ था। स्वयं आहत घनश्याम खड़े से टक्करा गया। साथ ही इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि घटना के समय घटना स्थल पर नहीं था और उसने घटना होते हुये नहीं देखा। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा वाहन टेक्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर घटना कारित की गई।

12— अभियोजन साक्षी बलराम (अ0सा04) ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि उसे घनश्याम ने फोन किया कि उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया है उसका इलाज आमला अस्पताल में चल रहा है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि घटना के समय घटना स्थल पर नहीं था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखा। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय वाहन कौन चला रहा था और उसका नम्बर क्या था। इस प्रकार इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से घटना का समर्थन नहीं होता है।

13— अभियोजन साक्षी रामप्रसाद (अ0सा05) ने मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न से प्रतिपरीक्षा से घटना का समर्थन नहीं किया है।

14— अभियोजन साक्षी दुलारीबाई (अ0सा06) ने बताया है कि उसके पति घनश्याम मोटर साईकिल चला रहे थे वह पीछे बैठी थी, जब वे घटना स्थल पर पहुँचे सामने से एक टेक्टर भोजराज चला कर बिना लाईट हार्न बजाते और उसके मोटर

साईकिल को ठोक दिया जिससे वह और उसके पति घायल हो गये थे। दिनेश उन लोगों को एम्बुलेंस से लेकर आया, जहां उसका इलाज हुआ उसके बाद रिफर किया तो बैतूल में इलाज हुआ। दुर्घटना से उसके चेहरे और पसली में चोट आई थी। उसके पति को गंभीर चोट आई थी। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि सामने टेक्टर आ रहा है अचानक उसकी गाड़ी टेक्टर से टकरा गई थी। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी ने जानबूझकर दुर्घटना नहीं की। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी उसक साईड से धीरे-धीरे गाड़ी चला रहा था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसके पति ने मोड़ पर गाड़ी संभाल नहीं पाया और टेक्टर से गाड़ी टकरा गई थी। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के द्वारा वाहन टेक्टर को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से नहीं चलाया गया। बल्कि स्वयं आहत घनश्याम के द्वारा अपनी मोटर साईकिल मोड़ पर संभाल नहीं पाने के कारण स्वयं टेक्टर से टक्करा गया।

15— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने टेक्टर को उपेक्षा व उतावलेपूर्ण से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुये आहत दुलारीबाई को टक्कर मारकर साधारण उपहति और आहत घनश्याम को घोर उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 1, 2 व 3 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

16— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने लोकमार्ग पर टैक्टर क्रं0 एम0 पी0- 48 ए 5724 को उपेक्षा पूर्ण व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने वाहन को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चलाकर आहत दुलारीबाई को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने वाहन को उपेक्षा पूर्ण उपेक्षा पूर्ण से चलाकर आहत घनश्याम को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त भोजराज भा0द0वि0 की धारा- 279, 337, 338 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17— प्रकरण में अभियुक्त के धारा 313 द0प्र0सं0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

18— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टेक्टर मय ट्राली के टेक्टर क्रं. एम.पी. 48 ए 5274 एवं ट्राली टी.आर.सी. एम.पी. 47 एफ.आर. 0072 पूर्व से आवेदक/सुपुर्दार रामप्रसाद पिता नान्हराम, उम्र 45 वर्ष नि0 ग्राम लालावाड़ी थाना आमला की सुपुर्दगी में है। उक्त वाहन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश मान्य किया जावे।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल म0प्र0